फोन / फैक्स नं0– 0135–2781201

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून।

डॉ0 पी0 सतीश जॉन, उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक–03.07.2018 को समय 03:00 बजें दिन स्थान–अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, देहरादून में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार व शिविरों के आयोजन के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त–

बैठक की उपस्थिति–

1–	डॉ0 पी0 सतीश जॉन,	उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
2–	श्री अनवार अहमद,	उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
3–	श्री थॉमस पी0वी0	सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
4–	श्रीमती रईस फातिमा	सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
5–	श्री जे0एस0 रावत	सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
6–	श्री एस0एस0 रावत	महाप्रबन्धक, उ0अल्प0क0व0वि0 निगम, देहरादून।
7–	श्री जगमोहन सिंह कफौला	जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा।
8–	श्री गुलशेर अली	सहा0 अल्प0 कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
9–	श्री संजय सिंह	कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जि0अ0क0,उधमसिंहगनर।
10–	श्री जितेन्द्र चन्द्र	वसूली सहायक, कार्यालय जि0स0क0, चम्पावत।
11–	श्री राजेन्द्र प्रसाद	सहा0प्रबन्धक, बहु0वि0नि0 कार्या0जि0स0क0,बागेश्वर ।
12–	श्री एस0एल0 पैन्यूली	प्रशासनिक अधिकारी जि0स0क0, उत्तरकाशी।
13–	श्री किशन सिंह चौहान	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी।
14–	श्री नरेन्द्र सिंह रावत	सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून।

बैठक में सर्वप्रथम मा0 आयोग के द्वारा बैठक में सभी प्रतिभागीयों से परिचय करते हुए उपस्थित प्रतिभागीयों में से जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय उधमसिंहनगर से कनिष्ठ सहायक जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, चम्पावत से वसूली सहायक, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय बागेश्वर से सहा0प्रबन्धक, बहु0निगम द्वारा बैठक में प्रतिभाग करने तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी एवं नैनीताल से कोई भी प्रतिनिधित्व नही किया गया । इस सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा खेद व्यक्त करते हुए सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन से बैठक में जूनियर स्तर कर्मचारी भेजने व बैठक में प्रतिभाग न करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है।

कार्यवाही–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

2– बैठक में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन के निर्देशो के कम में प्रदेश में राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याणार्थ संचालित योजनाओ के व्यापक प्रचार–प्रसार व शिविरों के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के आम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुचाने के सम्बन्ध में चर्चा की गयी।

कमशः....................2

जिसमें पूर्वदशम छात्रवृत्ति(राज्य व केन्द्र पोषित), दशमोत्तर छात्रवृत्ति(केन्द्र पोषित), मैरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति(केन्द्रपोषित), मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना, अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना, आई0डी0एम0आई0 योजना (केन्द्रपोषित), एस0पी0क्यू0ई0एम योजना (केन्द्रपोषित), एम0एस0डी0पी0 (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) (केन्द्रपोषित), अल्पसंख्यक विकासनिधि योजना, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों कब्रिस्तान चाहरदीवारी योजना, अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकरण योजना, स्वरोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री हुनर योजना, मौलाना आजाद ऐजुकेशन शिक्षा ऋण योजना, टर्मलोन योजना, व्यवसायिक शिक्षा ऋण योजना, लघु ऋण योजना तथा अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जी का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम में संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी। अध्यक्ष महोदय, द्वारा सभी प्रतिभागी गणों को निर्देशित किया गया कि सभी योजनाओं का प्रचार–प्रसार अल्पसंख्यक क्षेत्रों में शिविर आदि के माध्यम से करते हुए प्रत्येक माह की रिपोर्ट मा0 आयोग को उपलब्ध करायेगें। साथ ही जनपद स्तर पर अल्पसंख्यक कल्याणार्थ संचालित योजनाओं की त्रैमासिक रिर्पोट मा0 आयोग को उपलब्ध करायेगें। मा0 आयोग द्वारा मासिक, त्रैमासिक विवरण पत्र एवं सभी योजनाओं का बरोसर तैयार कर सभी प्रतिभागी गणों को उपलब्ध कराया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि अल्पसंख्यकों के आम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुचाने का अधिक से अधिक प्रयास करें। बैठक में श्री अनवार अहमद, उपाध्यक्ष, श्रीमती रईस फातिमा, सदस्य व थॉमस पी0वी0, सदस्य मा0 उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून के द्वारा अवगत कराया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकाश व्यक्ति समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से योजनाओं की पूर्ण जानकारी नही ले पाते है। इस सम्बन्ध में मस्जिद, गुरूद्वारे, चर्च, मदरसों एवं ग्राम के वार्ड स्तरों आदि स्थानों पर व्यापक प्रचार–प्रसार करने पर योजनाओं से अल्पसंख्यक समुदाय अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकेगें।

कार्यवाही–समस्त जिलाधिकारी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

3– बैठक में श्री जगमोहन सिंह कफौला, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा के द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदों में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से विभागीय कार्य हेतु कोई भी कार्मिक तैनात नही है। इस सम्बन्ध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं के संचालन हेतु एक सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व एक लिपिक की तैनाती किया जानां आवश्यक है। यद्यपि बैठक में मा0 आयोग द्वारा अवगत कराया गया कि पर्वतीय जनपदों में भी दो या तीन जनपदों को मिलाकर एक अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय का प्रस्ताव शासन को पूर्व ही प्रेषित किया गया है। पुनः उक्त सुझाव के सम्बन्ध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन से कार्यवाही अपेक्षित है।

कार्यवाही–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4– बैठक में श्री एस0एस0 रावत, महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वक्फ विकास निगम, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि निगम द्वारा सचांलित योजनाओं में स्वरोजगार ऋण योजना का लक्ष्य जनपद वार निर्धारित किया जा चुका है। जिसमें दिनांक–30.06.2018 तक आवेदन की अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी थी। माह जुलाई तक जिला स्तर से सभी चयनित लाभार्थियों के ऋण आवेदन निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने है। मौलाना आजाद ऐजुकेशन ऋण योजना, टर्मलोन ऋण योज़ना व मा0 मुख्यमंत्री हुनर योजना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि उक्त योजनाओं हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध है। लाभार्थियो के चयन जिला स्तर पर कर प्रस्ताव निगम मुख्यालय यथाशीध्र प्रेषित किये जाय।

कार्यवाही–समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

कमशः....................2

4— बैठक में मा0 आयोग के द्वारा निर्देशित किया गया है कि आगामी समय में जनपद स्तरों पर मा0 आयोग के स्तर से भी शिविरों का आयोजन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों/समाज कल्याण अधिकारियों से अपेक्षा है कि शिविर हेतु ऐसे स्थानों का चयन किया जाय, जहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के अधिक से अधिक व्यक्ति शिविर में प्रतिभाग कर सके। इसके अतिरिक्त मा0 आयोग के द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण—पत्र व अल्पसंख्यकों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के भी निर्देश दिये गये है।

कार्यवाही—समस्त जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागी गणों को दिये गये निर्देशो अक्षरः अनुपालन करने के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की समाप्ति की गयी।

(डा0पी0सतीश जॉन)
उपाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
देहरादून।

कार्यालय उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।

पंत्राक 194/उ0अ0आ0/बैठक कार्यवृत्त/2018—19 दिनांकः 06जुलाई, 2018

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2— सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
3— निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
4— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5— महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।
6— जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, नैनीताल/उधमसिंहनगर/हरिद्वार/देहरादून।
7— जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली/रूद्रप्रयाग /उत्तरकाशी /पौड़ी/टिहरी /बागेश्वर /चम्पावत/ पिथौरागढ /अल्मोडा।

o/c

सचिव,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
देहरादून।